GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

ई–मेलः
सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी कमांक– 33/13–2023 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला :– 02.04.2024

विषयः– **मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत कक्षा चौथी से बारहवीं में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले देने बारे दिशा–निर्देश।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र अनुसार 1 लाख 80 हजार रूपये या उससे कम है, उन छात्रों के शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में कक्षा चौथी से बारहवीं में सहमति प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों (सूची संलग्न) में दाखिले करवाने के लिए विभागीय गाईडलाईन की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

विद्यालय अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाईट https://harprathmik.gov.in/ व https://schooleducationharyana.gov.in/ पर दिये गए Latest News सैक्शन के अंतर्गत What's new section में Guidelines regarding admission in recognized private schools under CM Haryana Equal Education Relief, Assistance and Grant (CHEERAG) Scheme पर उपलब्ध है।

संलग्न– 1. प्रारूप आवेदन पत्र।
2. गाईड लाईन की प्रति।
3. स्कूलों की सूची।

–हस्ता–
अधीक्षक पी0एस0(ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

कमांक–सम–
दिनांक 02/04/2024

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. उपनिदेशक, आई.टी. सैल से अनुरोध है कि गाईडलाईन, आवेदन पत्र का नमूना एवं विद्यालयों की सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक, प्राईवेट स्कूल, सैकेण्डरी शिक्षा।

Ashok Kumar
2-4-2024
अधीक्षक पी0एस0(ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

विषयः– **मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु दाखिले देने बारे दिशा–निर्देश।**

1. उक्त योजना कक्षा 4 से 12 तक लागू होगी।
2. इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त/उत्तीर्ण की होगी।
3. छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खण्ड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खण्ड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगें तथा वे खण्ड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर दर्शाया जाएगा।
5. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
6. अभिभावक/ छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिनांक **02.04.2024 से 10.04.2024** तक आवेदन कर सकते हैं।
7. जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में दिनांक **12.04.2024** को लॉटरी ड्रा अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।
8. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय दिनांक **13.04.2024 से 25.04.2024** तक दाखिले की प्रकिया सम्पन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शायेंगे।
9. लॉटरी ड्रा के पश्चात् मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक **26.04.2024 से 30.04.2024** तक किये जाएंगे।
10. इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे। जिसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/पी.जी.टी./अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं।
11. प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 1 लाख 80 हजार रूपए एवं इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।
12. जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक/छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक/छात्र को पावती (रसीद) अवश्य देगा।
13. सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), आवेदन तिथि के पश्चात लिया जाना अनिवार्य होगा।
14. दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आई.डी–परिवार पहचान पत्र (PPP No.) का होना अनिवार्य है।
15. फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होगें जिन द्वारा फार्म–VI में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी गई होगी अतः सभी विद्यालय ऑनलाईन पोर्टल पर फार्म–VI भरना सुनिश्चित करें।
16. विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अन्दर–अन्दर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर भेजनी होगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।